न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 156/2022/अपील/एलआरएक्ट/बारां

दायरा दिनांकः 11.11.2022

अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

मांगीलाल उम्र 52 वर्ष पुत्र श्री शंकरलाल जाति बैरवा निवासी वार्ड नं0 14, सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.....अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीनाथ उम्र 50 वर्ष पुत्र श्रीलाल जाति सुनार निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल, जिला बारां, राज राजस्थान ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र गुप्ता, रमेश राठौर अभिभाषक –अपीलार्थी
श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी, श्री भानु प्रताप सिंह अभिभाषक, रेस्पो0 क्र. 1
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 2

::निर्णय::

दिनांक 30.04.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 01/2016 बउनवान मांगीलाल बनाम श्रीनाथ वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 02.05.2018 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी (अपीलार्थी मांगीलाल) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) पेश कर अनुरोध किया गया कि अप्रार्थी/रेस्पो0 क्र.1 सुनार जाति का सदस्य है तथा बेल्डिंग की दुकान लगाता है। जिसने हल्का पटवारी से मिलकर राजस्व भू–आवंटन कैंप सीसवाली में दिनांक 22.06.1989 को खसरा सं0 425 की 5 बीघा भूमि का आवंटन अपने नाम करा लिया, जबकि अप्रार्थी/रेस्पो0 क्र. 1 के द्वारा खसरा सं0 425 की किसी भी भूमि पर काश्त नहीं किया गया है और आज भी

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

काबिज काश्त नहीं है। इसके उपरांत भी वर्ष 2012 में खसरा सं0 844/5897 रकबा 0.80 है0 की खातेदारी दे दी गई, जो खारिज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आराजी को दिनांक 22.06.1989 को विधिवत कीमतन आवंटन होने तथा वर्तमान में दिनांक 25.01.2007 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने से किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होना जाहिर करते हुए प्रार्थना–पत्र निर्णय दिनांक 02.05.2018 से खारिज किया गया।

2 अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 01/2016 बउनवान मांगीलाल बनाम श्रीनाथ वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 02.05.2018 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील इस न्यायालय मे पेश कर कथन किया कि रेस्पो0 क्र. 1 के द्वारा आवंटन मे सही तथ्य छिपाते हुये व असत्य तथ्य लिखकर अपने पक्ष में आवंटन कराया है। आवंटी कृषक/मजदूर नही है और न हीं विस्थापित कृषक है। उसने या कभी उसके परिवार ने कभी खेती नही की है वह जाति से सुनार है, गुप–चुप सुनारी के व्यवसाय के साथ व खुले तौर पर सीसवाली से मांगरोल रोड पर गुमन्टी/बॉडी लगाकर ग्राम पंचायत सीसवाली के समीप दुकान करता है। रेस्पोन्डेन्ट ने न केवल आवंटन हेतु आवेदन मे गलत एवं असत्य तथ्य अंकित किये अपितु स्वयं व गवाह ने आवंटन हेतु आवेदन को विधि व नियम विरूद्ध सत्यापित किया एवं आवेदन के तथ्यों को मिथ्या होने पर भी सही बताया है। मौके पर अपीलान्ट की कब्जे काश्त कि जमीन पर रेस्पोन्डेन्ट को दखल नही दिलाया बगैर पैमाईश दखलनामा का कागज तैयार कर लिया तथा मौके पर अभी भी अपीलार्थी की उड़द की फसल खड़ी है। जिसकी तस्दीक मौके पर जाकर की जा सकती है। खसरा नं0 425 जो बडा रकबा है, उसमे किसी हिस्से पर आवंटन से पहले या बाद मे रेस्पोडेन्ट ने काश्त नही की है, यह आवंटन नियमो की शर्तों का भी उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे महज यह माना कि बाद आवंटन दिनांक 25.01.2007 को रेस्पोन्डेन्ट को खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है, इसलिए भी मामले मे हस्तक्षेप नही किया जा सकता है। अपीलार्थी वर्ष 1978 से अर्थात उसके पिता के समय से काबिज काश्त था। पिता दिवगत हो चुके है, तब से ही वह काश्त कर रहा है, इस प्रकार 30 साल से भी अधिक वर्षो से उसका कब्जा है, हर वर्ष फसल करता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02. 05.2018 निरस्त किया जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि आवंटी कृषक/मजदूर नही है और न हीं विस्थापित कृषक है। उसने या कभी उसके परिवार ने कभी खेती नही की है वह जाति से सुनार है, गुप–चुप सुनारी के व्यवसाय के साथ व खुले तौर पर सीसवाली से मांगरोल रोड पर गुमन्टी/बॉडी लगाकर ग्राम पंचायत सीसवाली के समीप दुकान करता है। रेस्पोन्डेन्ट ने न केवल आवंटन हेतु आवेदन मे गलत एवं असत्य तथ्य अंकित किये अपितु स्वयं व गवाह ने आवंटन हेतु आवेदन को विधि व नियम विरूद्ध सत्यापित किया एवं आवेदन के तथ्यों को मित्या होने पर भी सही बताया है। मौके पर अपीलान्ट की कब्जे काश्त कि जमीन पर रेस्पोन्डेन्ट को दखल नही दिलाया बगैर पैमाईश दखलनामा का कागज तैयार कर लिया तथा मौके पर अभी भी अपीलार्थी की उड़द की फसल खड़ी है। जिसकी तस्दीक मौके पर जाकर की जा सकती है। खसरा नं0 425 जो बडा रकबा है, उसमे किसी हिस्से पर आवंटन से पहले या बाद मे रेस्पोडेन्ट ने काश्त नही की है, यह आवंटन नियमो की शर्तो का भी उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे महज यह माना कि बाद आवंटन दिनांक 25.01.2007 को रेस्पोन्डेन्ट को खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है, इसलिए भी मामले मे हस्तक्षेप नही किया जा सकता है। अपीलार्थी वर्ष 1978 से अर्थात उसके पिता के समय से काबिज काश्त था। पिता दिवगत हो चुके है, तब से ही वह काश्त कर रहा है, इस प्रकार 30 साल से भी अधिक वर्षो से उसका कब्जा है, हर वर्ष फसल करता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.05.2018 निरस्त किया जावे।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि प्रश्नगत आवंटन के संबंध में अपीलार्थी के द्वारा बिना कोई विधिक कारण बताये ही अपील सिर्फ रेस्पोडेन्ट के सवर्ण होना बताकर निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की हैं। रेस्पो० एक गरीब व्यक्ति हैं जो दिनांक 22.06.1989 आवंटन आदेश से पूर्व भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आता था। रेस्पोडेन्ट को आंवटन सलाहकार समिति के सदस्यो ने पूर्णरूप से विधिवत प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नियमानुसार अपीलान्ट को आवंटन हेतु पात्र मानकर उक्त आराजी खसरा न0 425 रकबा 5 बीघा बाद सेटलमेन्ट हाल खसरा न० 844/5897 रकबा को मि0न0 516 दिनांक 22.06.1989 से किमतन 750 रू0 पर आवंटन किया गया हैं। उक्त आवंटन आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट ने आंवटन राशि 750/– रू० का भुगतान कर देने एवं उक्त आवंटन आदेश दिनांक 22.06. 1989 के उपरान्त उक्त आदेश की पालना में रेस्पो० को दिनांक 08.09.1989 को आंवटित आराजी पर दखल भी हल्का पटवारी द्वारा संभला देने के बाद से ही रेस्पोडेन्ट उक्त आराजी पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त करता चला आ रहा हैं। माननीय उप जिला कलक्टर,

मांगरोल द्वारा नियमानुसार दिनांक 25.01.2007 को उक्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं एवं वर्तमान में उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज हैं। रेस्पोडेन्ट उक्त आराजी खसरा न० 844/5897 रकबा 0.80 है0 का रिकॉर्ड खातेदार कृषक हैं, जो प्रतिवर्ष फसल काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट की सम्पूर्ण आराजी पर अवैधानिक तौर पर कब्जा करना चाहता हैं, जो एक अतिकमी व्यक्ति हैं। रेस्पोडेन्ट ने दौराने आंवटन कोई तथ्य नही छुपाये हैं ना ही रेस्पोडेन्ट ने किसी तथ्य को छुपाकर आवेदन किया हैं तथा आवंटन की समस्त शर्तो का पालन किया हैं। आवंटन हेतु आवेदन पत्र के प्रारूप में पैरा न0 2 में भूमिहीन व्यक्तियो को भूमि आवंटन किये जाने हेतु आवेदन किये जाने बाबत् व्यवस्था दी हुयी हैं तथा दौराने आवटंन रेस्पोडेन्ट के भूमिहीन नही होने बाबत् कोई प्रमाण अपीलार्थी ने पेश नही किये हैं तथा अपीलार्थी द्वारा दौराने आवंटन भी कोई आपत्ति दर्ज नही करवायी गयी। अपीलार्थी द्वारा उक्त आवंटन रेस्पोडेन्ट के पक्ष में हो जाने व रेस्पोडेन्ट को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो जाने के बाद उक्त आवंटन आदेश को 26–27 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय में आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। उक्त विलम्ब का कोई सन्तोषप्रद कारण अपीलार्थी ने नही दर्शाया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही तौर पर विधिक प्रावधानो व उचित निष्कर्षो के अनुरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 02.05.2018 को निर्णय पारित कर निरस्त फरमाया हैं। अतः अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6 हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी (अपीलार्थी मांगीलाल) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) पेश कर अनुरोध किया गया कि अप्रार्थी/रेस्पो0 क्र.1 सुनार जाति का सदस्य है तथा बेल्डिंग की दुकान

लगाता है। जिसने हल्का पटवारी से मिलकर राजस्व भू–आवंटन कैंप सीसवाली में दिनांक 22.06.1989 को खसरा सं0 425 की 5 बीघा भूमि का आवंटन अपने नाम करा लिया, जबकि अप्रार्थी/रेस्पो0 क्र. 1 के द्वारा खसरा सं0 425 की किसी भी भूमि पर काश्त नहीं किया गया है और आज भी काबिज काश्त नहीं है। इसके उपरांत भी वर्ष 2012 में खसरा सं0 844/5897 रकबा 0.80 है0 की खातेदारी दे दी गई, जो खारिज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आराजी को दिनांक 22.06.1989 को विधिवत कीमतन आवंटन होने तथा वर्तमान में दिनांक 25.01.2007 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने से किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होना जाहिर करते हुए प्रार्थना–पत्र निर्णय दिनांक 02.05.2018 से खारिज किया गया। प्रश्नगत प्रकरणं अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि रेस्पो0 क्र.1 जाति से सुनार है, गुप–चुप सुनारी के व्यवसाय के साथ व खुले तौर पर सीसवाली से मांगरोल रोड पर गुमन्टी/बॉडी लगाकर ग्राम पंचायत सीसवाली के समीप दुकान करता है। रेस्पोन्डेन्ट ने न केवल आवंटन हेतु आवेदन मे गलत एवं असत्य तथ्य अंकित किये अपितु स्वयं व गवाह ने आवंटन हेतु आवेदन को विधि व नियम विरूद्ध सत्यापित किया एवं आवेदन के तथ्यों को मिथ्या होने पर भी सही बताया है। खसरा नं0 425 जो बड़ा रकबा है, उसमे किसी हिस्से पर आवंटन से पहले या बाद मे रेस्पोडेन्ट ने काश्त नही की है, यह आवंटन नियमो की शर्तों का भी उल्लंघन है। इसके विपरित रेस्पो0 क्र.1 का तर्क रहा है कि अपीलार्थी के द्वारा बिना कोई विधिक कारण बताये ही अपील सिर्फ रेस्पोडेन्ट के सवर्ण होना बताकर निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की हैं। रेस्पोडेन्ट को आंवटन सलाहकार समिति के सदस्यो ने पूर्णरूप से विधिवत प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नियमानुसार अपीलान्ट को आवंटन हेतु पात्र मानकर उक्त आराजी खसरा न0 425 रकबा 5 बीघा बाद सेटलमेन्ट हाल खसरा न० 844/5897 रकबा को मि0न0 516 दिनांक 22.06.1989 से किमतन 750 रू0 पर आवंटन किया गया हैं। उक्त आवंटन आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट ने आंवटन राशि 750/– रू० का भुगतान कर देने एवं उक्त आवंटन आदेश दिनांक 22.06.1989 के उपरान्त उक्त आदेश की पालना में रेस्पो० को दिनांक 08.09.1989 को आंवटित आराजी पर दखल भी हल्का पटवारी द्वारा संभला देने के बाद से ही रेस्पोडेन्ट उक्त आराजी पर निर्बाध रूप से काबिज काशत करता चला आ रहा हैं। माननीय उप जिला कलक्टर, मांगरोल द्वारा नियमानुसार दिनांक 25.01.2007 को उक्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं एवं वर्तमान में उक्त विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही तौर पर विधिक प्रावधानो व उचित निष्कर्षो के अनुरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 02.05.2018 को निर्णय पारित कर निरस्त फरमाया हैं।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

8 उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.05.2018 में यह स्पष्ट किया गया है कि रेस्पो0 क्र.1 भू–आवंटन सलाहकार समिति कैंप सीसवाली द्वारा दिनांक 22.06.1989 को आराजी खसरा सं0 425 रकबा 5 बीघा भूमि का कीमतन आवंटन किया गया है, जिस पार दिनांक 08.09.1989 को दखल दिया गया है। आवंटित आराजी 425 के बाद सेटलमेंट खसरा सं0 844 बने जिसके मिन नं0 844/5897 रकबा 0.80 है0 कायम हुए है, जो बदस्तूर खाते में दर्ज चली आ रही है तथा रेस्पो0 क्र.1 को उक्त आराजी पर दिनांक 25.01.2007 को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने से प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है। यहां यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन होगा कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पो0 क्र.1 को दिनांक 25.01.2007 को खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जाने चुके है। अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वर्ष 2016 मे पेश किया गया है, जो अत्यधिक विलम्ब (9 वर्ष) से पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया है, वह उचित प्रकट होता है क्योंकि आवंटी/रेस्पो0 क्र. 1 के द्वारा आवंटन के समय कोई तथ्य छुपाया जाना प्रकट नहीं होता है। आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा आवंटन किये जाने के पश्चात् आवंटत शर्तों की पालना किये जाने के उपरांत ही उक्त आराजी पर दिनांक 25.01.2007 को खातेदारी अधिकारी प्रदान किये गये है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का किसी भी प्रकार से हित निहित नहीं होना प्रकट होता है। लिहाजा जेरअपील निर्णय में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

9 निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा